COURT FEE INDIA TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

147

श्री

अपील क्र.——

प्रस्तुत भरतलाल अभि.—अपील अन्तर्गत धारा 47 :क: उपधारा 5 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम—

द्वारा दि. 9-2-12 को.

A - 310 - I / 2012

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-2-12

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री राजेश पिता श्री कनकमलजी बम्बोरी,
निवासी 67 पोरवाड़ो का वास, रतलाम —————— अपीलांट

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प रतलाम
3. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन
4. श्री कनकमल पिता श्री बाबुलालजी बम्बोरी
5. श्रीमती चांदबाई पति श्री कनकमलजी बम्बोरी

निवासीयान 67 पोरवाड़ो का वास, रतलाम —————— रेस्पान्डेन्ट्स

—द्वितीय अपील—

मान्यवर महोदय,

अपीलांट यह द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 09/10—11 अपील में पारीत आदेश दिनांक 15.12.2011 से असंतुष्ट होकर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करता हैं :—

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 310-एक/2012 **जिला रतलाम**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-2-18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण मे आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 13-10-14 से लगातार अनुपस्थित हैं । न्यायहित में प्रकरण आवेदक के अधिवक्ता की उपस्थिति के लिये दिनांक 23-2-18 तक अनेक पेशियॉ नियत की जाकर उनकी उपस्थिति का इंतजार किया गया परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अत: आवेदक को प्रकरण में निराकरण में कोई रूचि नहीं होनेके कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अध्यक्ष	